न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 77/2020

दिनांकः 29.03.2022

रतनलाल पुत्र तोलाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डेलवा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

–प्रार्थी–

बनाम

स्टैट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

–अप्रार्थी–

उपस्थितः–

1.ललित कुमार मारू अभिभाषक प्रार्थी

2.पेरोकाराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू. अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र रतनलाल ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दादा आसुराम पुत्र रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी डेलवा तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी के खेत खसरा नंबर 149 तादादी 25 बीघा खसरा नंबर 146 तादादी 22 बीघा 17 बिस्वा वाकेरोही लाधडिया मे स्थित रहे है तथा खेत खसरा नंबर 148 तादादी 17 बीघा 08 बिस्वा खसरा नंबर 348 तादादी 33 बीघा 3 बिस्वा वाकेरोही डेलवा में स्थित रहें है। यह है कि कालान्तर में खसरा नंबर 149 के नये खसरा नंबर 233 तादादी 6.43 हैक्टेयर खसरा नंबर 146 के नये खसरा नंबर 230 तादादी 5.78 हैक्टैयर वाकेरोही लाधड़िया तथा खसरा नंबर 148 के नये खसर नंबर 185 तादादी 4.40 हैक्टेयर खसरा नंबर 348 के नये खसरा नंबर 466 तादादी 8.38 हेक्टेयर वाकेरोही डेलवा कायम हो गये। यह है कि प्रार्थी के दादा आसूराम की मृत्यु काफी समय पूर्व होगई और प्रार्थी के दादा की मृत्यु से पूर्व ही प्रार्थी के पिता की भी मृत्यु होचुकी थी। प्रार्थी के पिता के जायज वारिसनों मे प्रार्थी व प्रार्थी की माता शांति हुए। यह है कि प्रार्थी के दादा व पिता की मृत्यु केबाद उपरोक्त खसरान भूमि में दर्ज विरास्तन इन्तकाल सं. 398,399 व 409, 410 व वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वर्तमान खेत खसरा नंबर 233 तादादी 6.43 हैक्टेयर रोही लाधड़िया में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा, खसरा नंबर 230 तादादी 5.78 हैक्टेयर वाकेरोही लाधड़िया मे प्रार्थी का 7/36 हिस्सा एवं खसरा नंबर 466 तादादी 8.38 हैक्टेयर में प्रार्थी का 7/144 हिस्सा कायम चला आ रहा है। यह है कि प्रार्थी को जब उपरोक्त खसरान की भूमि पर के.सी.सी. बनाने हेतु पटवारी हल्का से संपर्क किया व इंतकाल जमांबदी मिलान क्षेत्रफल आदि की नकले दिनांक 27.11.2017 को निकलवाई तो प्रार्थी को जानकारी हुई कि प्रार्थी का नाम रतीराम पुत्र तोलूराम गलत रूप से अंकित कर रखा है,जबकि प्रार्थी का सही रतनलाल पुत्र तोलाराम अंकित कर रखा है जबकि प्रार्थी का सही नाम रतनलाल पुत्र तोलाराम अंकित होना चाहिए था एवं खेत खसरा नबर 185 तादादी 4.40 हैक्टेयर वाकेरोही डेलवां में प्रार्थी का नाम गलत रूप से रतीराम पुत्र तोलूराम अंकित कर रखा है जबकि प्रार्थी का सही नाम रतनलाल पुत्र तोलाराम अंकित होना चाहिए था व खेत 466 तादादी 8.38 हैक्टेयर वाकेरोही डेलवा में में प्रार्थी का नाम रतीराम पुत्र तोलाराम गलत रूप अंकित कर रखा है जबकि प्रार्थी का सही नाम रतनलाल पुत्र तोलाराम अंकित होना चाहिए था। प्रार्थी के दादा व पिता के फौत हो जाने पर उपरोक्त खसरान भूमि के नामान्तरण दर्ज करने के समय जो वंशावली अंकित की गई है उसमें प्रार्थी का नाम रतीराम पुत्र तोलूराम गलत अंकित कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम शुरू से ही रतनलाल पुत्र तोलाराम रहा

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

आदेश

खेत खसरा नंबर 233 तादादी 6.43 हैक्टेयर रोही लाधड़िया में प्रार्थी के गलत नाम रतीराम पुत्र तोलूराम की जगह रतनलाल पुत्र तोलाराम खेत खसरा नंबर 230 तादादी 5.78 हैक्टेयर रोही लाधड़िया में प्रार्थी के गलत नाम रतीराम पुत्र तोलाराम की जगह रतनलाल पुत्र तोलाराम एवं खेत खसरा नंबर 185 तादादी 4.40 हैक्टेयर वाकेरोही डेलवा में प्रार्थी के गलत नाम रतीराम पुत्र तोलूराम की जगह रतनलाल पुत्र तोलाराम व खेत 466 तादादी 8.38 हैक्टेयर वाकेरोही डेलवा में प्रार्थी के गलत नाम रतीराम पुत्र तोलाराम की जगह रतनलाल पुत्र तोलाराम अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे शुद्विकरण करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 29.03.2022 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ